कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

पत्रॉक :– 1336/20C. दिनॉक – 30/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वनप्रभाग,
चम्पावत।

विषय :– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत पंचेश्वर मोटर मार्ग से झाड सिरतोली तक मोटर के निर्माण हेतु 0.970 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 327/एक्स –4–17/1(33)/2017 दिनांक 26.07 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग की शैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त शैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या पूर्ण होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1027/20 सी0 दिनांक 26.07.2018 के माध्यम से आपको प्रेषित किये गये थे। जिसमें आपने अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 554/12–1 दिनांक, चम्पावत 16.08.2018 के द्वारा अपर प्रमुख एवं वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु लिखा गया था। जिस पर आतिथि तक विधिवत स्वीकृति आपेक्षित है।

अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, कार्यालय देहरादून से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अनुपालन आख्या को प्रश्न– उत्तर फार्मेट में बनाकर उचित माध्यम से प्रेषित करने हेतु कहा गया है। जो कि निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	शैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस – पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	1– प्रस्तावित स्थल के आस – पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण हेतू रू0 1,10,000.00 की धनराशि चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (चालान की छाया प्रति संलग्न) (संलग्नक -1व2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 एस0 –566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या –5–3/2007–एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहक दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0 पी0 वी0) की धनराशि जमा की जायेगी।	2– एन0 पी0 वी0 की धनराशि (शुद्व वर्तमान मूल्य) रू0 6,37,290.00 चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (चालान की छाया प्रति संलग्न) (संलग्नक -1व2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0 पी0 वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	3– एन0 पी0 वी0 की बढी हुई दरों हेतु वचनबद्वता का प्रमाण – पत्र पूर्व में संलग्न है।, सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007 —एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0 पी0 वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पैधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के	4– उपरोक्त सभी धनराशियो का आपके पत्रांक 119/12–1 दिनांक 13.07.2018 के द्वारा इस खण्ड को प्रेषित डिमांड नोट को ऑन लाईन नोडल अधिकारी को प्रेषित किया गया था। डिमांड नोट स्वीकृति उपरान्त चालान जनरेट कर चालान के

	तदर्थ निकाय के लेखा संख्या – एस0 बी0 –25229, कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक –11 भूतल सी0 जी0 ओ0 काम्पलेक्स, फेज –1, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट /चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0 पी0 वी0, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस – पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	माध्यम से वॉछित धनराशि जमा कर दी गयी है। (ऑन लाईन चालान की छाया प्रति संलग्न) (संलग्नक – 04)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण के कार्य के लिए जनपद कार्यवल की संस्तुतियों एवं भू – वैज्ञानिक क सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	5–निर्माण कार्य के दौरान भू– वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन किया गया है। (अनुपालन प्रमाण –पत्र की छाया प्रति संलग्न) (संलग्नक-5)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण – पत्रों को उपलब्ध करवाया जाना होगा।	6–वन अधिकार अधिनियम – 2006 के प्रमाण –पत्रों की छाया प्रति पुनः संलग्न है। (संलग्नक –6)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है	7– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तो का अनुपालन किया गया है।
8	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	8– निहित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग में पडने वाली वन भूमि की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अपने स्तर से प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– पत्रानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

30/11/22

पत्रॉक :– ..../ दिनॉक – ..../..../2022

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – खण्डीय अमीन, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-07-2018

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6116816051
MoEF/SG File No.	1(33)/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD office LohaghatChampawat
Amount(in Rs)	747290/-

Amount in Words :Seven Lakh Forty-Seven Thousand Two Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116816051 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-07-2018

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6116816051
MoEF/SG File No.	1(33)/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD office Lohaghat Champawat
Amount(in Rs)	747290/-

Amount in Words :Seven Lakh Forty-Seven Thousand Two Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116816051 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Executive Engineer
Const. Divi. P.W.D
Lohaghat (Champawat)
Code No 1446
19-07-2018

UTR- SBIN R 52018072100002619

भारतीय स्टेट बैंक, पुल्हिण्डोला-07659
फोन 0-2620774
21 JUL 2018
Ganesh ... Goswami
कैशियर

संलग्नक-1क

Online Submission & Monitoring of Environmental, Forest and Wildlife Clearances -A Single Window Clearance System

26 Jul 2018 11:38:58 Logout

User Name: [Nitu]
State: [Uttarakhand]
Role : [Applicant]

My Account My Proposals Environment Clearance My Proposals Forest Clearance My Proposals Wildlife Clearance Help

Funds to be deposited in Govt. Exchequer

Help

Click on Generate Challan to generate challan.

Paid — This icon shows that the payment has been deposited.

To be Paid — This icon shows that the payment of this yet to be made.

Challan Generated — This icon shows that the challan has been generated.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Status
1	FP/UK/ROAD /16816/2015	ROAD168162015051	6116816051	Construction of Ghatora to Jhar Sirtoli Motor Road	Road	0.97	PUBLIC WORKS DEPARTMENT	26-7-2017	18-7-2018	Paid	Paid
2	FP/UK/ROAD /13608/2015	ROAD136082015831	113136082015831	Construction of Mulakot Kande Bhueya Motor Road in district Champawat	Road	3.15	PUBLIC WORKS DEPARTMENT	05-9-2016	17-1-2017	Paid	Paid
3	FP/UK/ROAD /9568/2015	ROAD95682015142	11395682015142	Extension of Ghat Natra Salan M/R with 5 No. Bridge	Road	4.86	PUBLIC WORKS DEPARTMENT	30-10-2015	06-2-2016	Paid	Paid

Disclaimer
An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact Environment,Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID),NIC,New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

संलग्नक - 3

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

ह0
अधिशासी अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी

संलग्नक – 4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 119 /12-1 दिनांक, चम्पावत 13-07-2018।

सेवा में,

अधिशाषी अभियंता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

विषयः– **जनपद चम्पावत मे पंचेश्वर मोटर मार्ग से झाड सिरतोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.97 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– **उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 327/एक्स–4–17/1/2017 दि0 26.07.2017।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क मे आप उक्त पत्र के उल्लिखित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। उक्त संदर्भित पत्र के कम मे उक्त प्रकरण मे जमा की जाने वाली धनराशि का संशेधित विवरण निम्न प्रकार है :–

क.स.	मद	ईकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन.पी.वी.	0.97 हे0 (ईको क्लास 5, घनत्व 0.3)	657000.00	637290.00
2	आस–पास रिक्त स्थानो मे वृक्षारोपण	100 संख्या	1100 प्रति वृक्ष	110000.00

अतः कृपया उक्त डिमाण्ड नोट आनलाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने कष्ट करे।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

संलग्नक – 5

परियोजना का नाम : जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु कार्यबल की संस्तुति एवं भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

सहायक अभियन्ता
अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०
निर्माण खण्ड (चम्पावत)
लोहाघाट (चम्पावत)

(1.0)

Annexure-23(A)

संलग्नक 6

Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

No. Memo /F.R.A. Dated 30-11-2015

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of shri Dependra Kumar Chaudhari (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 30-11-2015 at 2:50 PM Champawat in which the application claiming rights in Gahtora to Jharsirtoli Village in Tashil Pati. Area measuring 0.770 hectares & for muck disposal 0.200 hectares Total 0.970 hectares for the **Construction of Gahtora to Jharsirtoli Motor Road. in District Champawat** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Pati tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

जिलाधिकारी
चम्पावत

(D.K. Chaudhari) I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

(1·6)

प्रारूप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

संलग्नक – 6

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No....Memo / FRA   Date....30-11-2015

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted fo non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.770 hectares & for muck disposal 0.200 hectares Total 0.970 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Lok Nirman Vibhag Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Construction of Gahtora to Jharsirtoli Motor Road.
(Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Mulakot, Gahtora & Jharsirtoli village (s) in Pati Tehsils.
It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.900 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it

(f) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी
चम्पावत
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र लोहाघाट
तहसील – पाटी / चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

28/11/15

51

(1.6)

प्रारुप–30.2
प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

संलग्नक नं० 6

कार्यालय उप जिलाधिकारी पाटी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
री अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पाटी

उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण** आरक्षित वन भूमि 0.560 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.210+ 0.200 हे0 अर्थात कुल 0.970 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पाटी) की दिनांक 10–10–2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जे0एस0 राठौर, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जे0एस0 राठौर, उपजिलाधिकारी पाटी – अध्यक्ष
2– श्री महिपाल सिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट – सदस्य
3– श्री एम0डी0 भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी पाटी/लोहाघाट – सदस्य/सचिव गोपालसिंह राणा
4– श्री सी0एस0 बोहरा, बी0डी0सी0 क्षेत्र होली पीपल्टी – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि
"जनपद चम्पावत में **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु 0.770 हे0 + 0.200 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड पाटी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु 0.770 हे0 + 0.200 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर **सहमति व्यक्त कर गयी।**

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील पाटी, जनपद चम्पावत

उपजिलाधिकारी पाटी
जनपद–चम्पावत

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

B.D.C होली पीपल्टी

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र लोहाघाट
तहसील पाटी/चम्पावत

तहसीलदार
पाटी
जनपद–चम्पावत

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील..
जनपद..

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

(गोपाल सिंह राणा)
स0 क0 अधिकारी
वि0 ख0

(महिपाल सिंह सिरोही)
(एम0 डी0 भट्ट)

(1·6)

संलग्नक -6

प्रारुप–30.3

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– बरमतोड़ा

तहसील– पाटी, जिला– चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेष्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.560 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.210 हे0, मलुवा निस्तारण हेतु 0.200 हे0) अर्थात कुल 0.970 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरमतोड़ा, द्वारा दिनांक 3–10–2015 को 11.00AM में सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गहतोड़ा, बरमतोड़ा, कापड़ी के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि लोक निमार्ण विभाग लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम सचिव

सावित्रीदेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गहतोड़ा
ह0/– ग्राम प्रधान
वि0ख0– पाटी (चम्पावत)

प्रारुप–30.4

प्रपत्र–23.1

(1·6)

संलग्नक–6

दिनांक 03–10–2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बरमतोड़ा 11:00 AM

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री सुभाष चन्द्र	सुभाष चन्द्र
2-	" कैलाश चन्द्र	कैलाशचन्द्र
3.	" शिवदत्त	शिवदत्त
4	" सुरेश चन्द्र	सुरेश चन्द्र
5.	" ईश्वरीदत्त	ईश्वरीदत्त
6	" नवीन चन्द्र	[illegible]
7	" मोहन चन्द्र	मोहनचन्द्र
8	" बद्रीदत्त	बद्रीदत्त
9	" लीलाधर	लीलाधर
10	" हीरावल्लभ	[illegible]
11	" प्रयागदत्त	प्रयागदत्त
12	" महेशचन्द्र	महेश चन्द्र
13	" खिमानन्द	खिमानन्द
14	" देवकीनन्दन	देवकीनन्दन
(15)	" देतराम	देतराम
16	" विनोदराम	विनोद राम
17	" ईश्वरीदत्त	ईश्वरीदत्त
18	" गोविन्दवल्लभ	[illegible]

19 " जानकी देवी

20 " देवकी देवी

सावित्री देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत गहतोड़ा
ग्राम प्रधान
वि०ख०– पाटी (चम्पावत)